तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व प्रार्थना पत्र मु.न. 161/2022 **अनवान स्टेट बनाम मैसर्स स्वास्तिक आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.05.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। प्रतिवादी/ अप्रार्थी वादी द्वारा खसरा नम्बर 1270/563 तादादी 7.21 हैक्टयर रोही जैतासर के सम्बन्ध में खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के कृषि करने के बजाय अवैध रूप से छोटे-छोटे भूखण्ड बनाकर अवैध कॉलोनी बसाने का कार्य किये जाने तथा मौके पर मकानात छोटे-छोटे पलाट, गलिया, कच्ची-पक्की सड़के इत्यादि बनाकर अकृषि में उपयोग में लेने सम्बन्धी रिपोर्ट के आधार पर यह दावा पेश किया है जिसमें वादी ने वादपत्र में वाद कारण पटवारी हल्का द्वारा खातेदार द्वारा कृषि भूमि का अकृषि मे उपयोग करने की रिपोर्ट करने पर उत्पन्न हुआ अंकित किया है। वादगत खेत के सम्बन्ध में सपरिवर्तन की कार्यवाही के तहत सपरिवर्तन हेतु तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिर्पोट की जाती है उसके बाद भूमि अकृषि में सपरिवर्तन होती है एवं सपरिवर्तन के सम्बन्ध में तहसील कार्यालय से रिर्पोट पेश होने के बाद दिनांक 06.04.2023 के प्रारूप 11 में क्र.सं. 27 पर मैसर्स स्वास्तिक डवलपर्स प्राइवेट लि. की रोही जैतासर की खसरा नम्बर 1270/563 तादादी 7.2100 हैक्टेयर के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रायोजन में उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की गई है जिसका नामान्तरण संख्या 1690 दिनांक 23.05.2023 को स्थानीय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ के नाम ख.न. 1270/563 क्षेत्रफल 7.2100 हैक्टेयर गै. मु. अकृषि में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा दर्ज किया गया है। इसलिए यह दावा चल नहीं सकता। वादगत खसरान के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 क के अधीन भूमि स्थानीय प्राधिकारी के नाम दर्ज होने के कारण एवं वादी द्वारा 90 क की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित किये जाने के कारण वादी को दावा में वाद हेतु हासिल नहीं है। वादी का दावा विधि विरूद्ध है। वादी द्वारा खसरा नम्बर 270/563 रोही जैतासर के सम्बन्ध में अकृषि उपयोग होने पर यह दावा पेश किया है वादी द्वारा ही धारा 90 क राजस्थान भू राजस्व के तहत कार्यवाही निस्पादित की गई है इसलिए वादी को वाद हेतु नहीं होने के कारण वादी का दावा आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी की परिधी मे आता है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादी का दावा में वादी को वाद हेतु हासिल नहीं होने एवं वादी का दावा विधि होने एवं वादी द्वारा चाही गई रिलीफ इस न्यायालय से प्राप्त नहीं होने से वादी का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। वादी/ अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा दावा दायरी के पश्चात वादगत खसरा की भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग में संपरिवर्तन करवाया गया है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया उस समय वादगत कृषि भूमि के अकृषि उपयोग की अनुज्ञा प्रतिवादी के पास नहीं थी। दावा दायरी की दिनांक को वागदत भूमि अकृषि उपयोग की नहीं थी लिहाजा वादी का दावा कतई विधि विरूद्ध नहीं है। वादी द्वारा दावा दायर [illegible] वादी को वादहेतु प्राप्त था। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 धारा 151 सीपीसी को खारिज फरमाया जा[illegible] किया। उभयपक्षकारान [illegible] किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन कर लेना उचित रहेगा। जो निम्न प्रकार से हैः- आदेश 7 नियम 11 वादपत्र का नामंजूर किया जाना-वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जावेगाः-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:45:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(क) जहां वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन का ठीक करनें के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायलय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियम किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(परन्तु मूल्याकंन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प– पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढाया जाएगा जब तक कि न्यायलय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्धि करनें या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा)

(च) जहां इसे डुप्लिकेट में फाइल नहीं किया गया है।

(छ) जहां वादी नियम 9 के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा वाद पेश करनें से पूर्व खातेदार का बिना 90 क की कार्यवाही किये एवं बिना सुनवाई किये प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 के तहत प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करनें के बाद उक्त खातेदारी भूमि के संबंध में सपरिवर्तन की कार्यवाही के तहत सपरिवर्तन हेतु तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिर्पोट की है उसके बाद भूमि अकृषि में सपरिवर्तन हुई है एवं सपरिवर्तन के सम्बन्ध में तहसील कार्यालय से रिर्पोट पेश होने के बाद दिनांक 06.04.2023 के प्रारूप 11 में क्र.सं. 27 पर मैसर्स स्वास्तिक डवलपर्स प्राइवेट लि. की रोही जैतासर की खसरा नम्बर 1270/563 तादादी 7.2100 हैक्टेयर के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रायोजन में उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की गई है जिसका नामान्तरण संख्या 1690 दिनांक 23.05.2023 को स्थानीय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ के नाम ख.न. 1270/563 क्षेत्रफल 7.2100 हैक्टेयर गै.मु. अकृषि में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा दर्ज किया गया है। वाद प्रस्तुतकर्ता तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा ही वादगत खसरान भूमि को जरिये नामान्तरकण संख्या 1690 दिनांक 23.05.2023 के द्वारा वादगत भूमि को स्थानीय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका श्रीडूंगरगढ के नाम दर्ज किया गया है। चूंकि वादगत भूमि का रूपान्तरण हो चूका है एवं वादगत भूमि के संबंध में कार्यवाही सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। उक्त वाद अब इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। लिहाजा वादी वाद विधि द्वारा वर्जित होने व क्षेत्राधिकार में नही होने से क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] 2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली [illegible] पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर [illegible] होकर दाखिल [illegible] हो। निर्णय [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:45:24 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)